

भारत ने कथिा ई-वीज़ा शक्तिका वसितार

संदर्भ

गौरतलब है क्कि 1 अप्रैल, 2017 से देश में एक नई उदारवादी ई-वीज़ा व्यवस्था लागू हो गई है। यह दुनिया भर में भारत की यात्रा की योजना बना रहे 161 देशों के नागरिकों के लिये यह एक खुशी का अवसर है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के उपरांत अब ऑनलाइन आवेदन करने की नरिधारति अवधतिथा भारत में रहने की अवधतिदोनों को एक साथ बढ़ा दिया गया है।

- हालाँकि, यहाँ एक ओर बात के वषिय में गौर करने की आवश्यकता है क्कि भारतीय राजनयकि मशिनों द्वारा वीज़ा प्रदान करने की परंपरागत प्रक्रिया को भी बंद नहीं कथिा जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बदि

- ध्यातव्य है क्कि ई-वीज़ा की प्रणाली का वचिर बहुत पुराना नहीं है। बल्कि पिछले सात वर्षों से ही यह व्यवस्था चलन में आई है।
- वर्ष 2010 में ही भारत ने पाँच देशों - जापान, सगिापुर, फनिलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिये ही आगमन पर पर्यटक वीज़ा (Tourist Visa on Arrival - TVOA) की शुरुआत की थी।
- इसके एक साल बाद ही भारत सरकार ने कंबोडिया, लाओस, वयितनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिये भी इस योजना का वसितार करने का नरिणय लथिा।
- इसके पश्चात् वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार के बदलने के बाद इस प्रणाली को काफी बढ़ावा मलिा।
- भारत की यात्रा को और अधकि सहज अनुभव बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनकि यात्रा प्राधकिार (Electronic Travel Authorization - ETA) से युक्त आगमन पर पर्यटक वीज़ा (TVOA) की सुवधि 27 सतिंबर, 2014 से शुरु कर दी गई।
- ध्यातव्य है क्कि टी.वी.ओ.ए-ई.टी.ए. के अंतरगत 9 नामति अंतरराष्टरीय हवाई अड्डों के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिये 43 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन पूव प्राधकिार (pre-authorization) प्राप्त था। वदिति हो क्कि यह एक एकल प्रवेश वीज़ा है, जो 30 दनिों के लिये वैध होगा।

शुरुआती वीज़ा नीति

- हालाँकि, शुरुआत में टी.वी.ओ.ए-ई.टी.ए. का नामकरण भी भ्रम से भरा था। वस्तुतः अनेक पर्यटक यह मानते थे क्कि वीज़ा हवाई अड्डे पर उतरने पर दथिा जाएगा, जसिका परगिाम यह हुआ क्कि कुछ पर्यटक ऑनलाइन आवेदन कथिे बनिा या स्थानीय भारतीय दूतावास से वीज़ा प्राप्त कथिे बनिा ही यहाँ आ गए।
- इस समस्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए देश की नीतिके अनुरूप एक नए नाम का गठन करने के लिये गृह मंत्रालय, वदिश मंत्रालय और आप्रवासन ब्यूरो (बी.ओ.आई.) के अधकिारयिों की एक समतििका गठन कथिा है।
- साथ ही Mygov.in पर इस नाम के बारे में एक प्रतयिोगति का आयोजन करके "ई-टूरसिट वीज़ा" को सबसे अच्छे वकिलप के रूप में चुना गया।
- तत्पश्चात् इस योजना को दोबारा ई-टूरसिट वीज़ा (ई.टी.वी.) नाम दथिा गया, यह नई वीज़ा नीति 15 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हो गई।

ऑकड़ाबद्ध सूचना

- उल्लेखनीय है क्कि वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान वभिन्नि उद्देश्यों के लिये भारत आने वाले वदिशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 7.68 मलियिन, 8.03 मलियिन और 8.90 मलियिन (अनंतमि) थी।
- इनमें से आगमन पर ई-वीज़ा वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2014, 2015 और 2016 में क्रमशः 0.39 लाख, 4.45 लाख और 10.80 लाख रही।

अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष

- केंद्रीय मंत्रमिडल ने वयापार को आसान बनाने, आर्थकि वकिस को प्रोत्साहति करने तथा वदिशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लहिाज से 30 नवंबर, 2016 को वीज़ा व्यवस्था को पहले की अपेक्षा अधकि उदार, सरल और त्रकसंगत बनाने का नरिणय लथिा।
- इसे नई वीज़ा व्यवस्था को अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लागू कथिा गया है। अब ई-वीज़ा में पर्यटक, वयापार, चकितिसा, रोजगार, इंटरन वीज़ा और फलिम वीज़ा जैसी कई नई श्रेणयिों को भी स्थान दथिा गया है।
- वभिन्नि देशों के क्रूरज पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये अब ई-वीज़ा सुवधि 24 हवाई अड्डों के साथ-साथ 3 बंदरगाहों (कोचीन, गोवा और मैंगलोर) के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिये 161 देशों के नागरिकों के लिये उपलब्ध कराई जा रही है।
- गौरतलब है क्कि बिहुत जलद मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों को भी ई-वीज़ा सुवधि के तहत शामिल कथिा जाएगा।

- ई-वीजा योजना के तहत आवेदन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ताकि पर्यटक अपनी यात्रा की योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।
- ई-पर्यटक, ई-व्यापार वीजा पर दोहरे प्रवेश तथा ई-चिकित्सा वीजा पर तहिये प्रवेश के साथ भारत में रूकने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिनों तक कर दिया गया है।
- चिकित्सा के लिये बड़ी संख्या में दलिली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिये अलग से आव्रजन काउंटर और सुविधा डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि अब अधिकांश देशों के नागरिक पाँच वर्ष की अवधि के लिये पर्यटन और व्यापार उद्देश्यों के लिये बहु प्रवेश वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल जरूरत वाले मामलों में आवेदन के 48 घंटों के भीतर व्यापार और चिकित्सा वीजा प्रदान किये जा सकते हैं।
- बायोमेट्रिक नामांकन सुविधा वाले 94वीं भारतीय मशिनों ने 1 मार्च, 2017 से 5 साल के बहु प्रवेश वाले वीजा जारी करने शुरू भी कर दिये हैं। बाकी राजनयिक मशिनों में भी आने वाले समय में जल्द ही ऐसा होने की संभावना है।

नबिकरष

सपषुट है कनिई वीजा व्यवस्था से भारत के एक अधकि अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में उभरने की संभावना है। इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को भी बढ़ावा मल्लिगा, जसिमें वदिशी नविशकों को अनेकों बार भारत यात्रा करने की जरूरत पड़ेगी। यह योजना डजिटिल इंडिया के वजिन के भी समरूप है। इस कदम से राजनयकि मशिनों का मैनुअल भार भी कम होने की संभावना है। मशिनों की वीजा खडिकरिाँ उन पर्यटकों के लिये खुली रहेंगी, जो ऑफलाइन की पद्धतसे आवेदन करना चाहते हैं, लेकनि दुनिया के वभिन्न देश ई-वीजा वकिलप के मार्ग को चुन रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने समय के अनुसार कदम उठाने का नरिणय लया है जो कएक प्रशंसनीय कदम है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-expands-e-visa-power>

